(31)

प्रेषक,

आशीष कुमार राय,
अपर मुख्य न्यायिक मजि.
कोर्ट सं. 03, वाराणसी।

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषयः- शासनादेश सं. 1705/दो-4-2011-45(12)/91 टी.सी लखनऊ, दिनांक 03/01/2012 एवं शासनादेश सं. 1363/दो-2009-45(12)/91 टी.सी. लखनऊ, दिनांक 13/05/2010 के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में विधि स्नातकोत्तर एल.एल.एम धारक होने के कारण तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मंहगाई भत्ता दिनांक 24/03/2014 से प्रदान किये जाने के संबंध में।

---

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 09/09/2013 को अपर सिविल जज (जू.डी.) के पद पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पदभार ग्राहण किया है। प्रार्थी ने सन् 2013 में विधि स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया था। जिसका प्रमाण पत्र दिनांक 24/03/2014 को प्रार्थी ने प्राप्त किया है। अतः प्रार्थी उपरोक्त शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में विधि स्नातकोत्तर होने के कारण दिनांक 24/03/2014 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः आदरणीय महोदय से विनम्र प्रार्थना है कि उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में प्रार्थी को दिनांक 24/03/2014 से तीन अग्रिम वेतन वृद्धि मय मंहगाई भत्ता प्रदान करने हेतु समुचित आदेश पारित करने के लिये प्रार्थी का यह प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत करने की कृपा करें।

आपकी महान कृपा होगी।

सादर।

दिनांक 21/10/2019

प्रार्थी

Ashish Kumar Rai
21-10-19
(आशीष कुमार राय)
अपर मुख्य न्यायिक मजि.
कोर्ट सं. 03, वाराणसी।

संलग्नकः

1- विधि स्नातकोत्तर उपाधि की प्रमाणित प्रतिलिपि।

Office of the District Judge Varanasi
No. 3039/I Date 21.10.19
Forwarded.

District Judge
Varanasi
21-10-19
21.10.19